राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा विषय पर पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक 16 जून 2017

<u>प्रशिक्षण रिपोर्ट</u>

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर के सहयोग से दिनांक 16 जून 2017 को जिला टोंक के पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारयों का महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक एवं सहायक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताया कि प्रशिक्षण के द्वारा समाज के अति संवेदनशील समूह महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना है ताकि पुलिस अधिकारी थाने पर आने वाली महिलाओं के प्रति त्वरित कार्यवाहियां कर उन्हे न्याय दिला सके।

श्री रमाकान्त सतपथी, सहायक प्रबन्धक सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने जेण्डर अवधारणा पर अपनी बात रखी। उन्होने समानता का अधिकार, जाति, लिंग आधारित भेदभाव की मनाही एवं अवसरों में बराबरी के अधिकार पर विस्तृत चर्चा की। जेण्डर संवेदनशीलता की आवश्यकता पर कहा कि इससे लिंग सम्बन्धी भेदभाव को मिटाकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सम्मान और सकारात्मकता को बढावा मिलता है। उन्होने महिलाओं की उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें जेण्डर सम्बन्धो के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक भेद प्राय: नजर आते है।

श्रीमती जसविन्दर कौर, सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने महिलाओं एवं बालिकाओं पर होने वाले लैंगिक हिंसा, कन्याभ्रूण हत्या, असमान पोषण, बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा सहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होने महिलाओं के प्रति रूढिगत धारणाओं को बढावा देने में व्यक्तियों का

नजरिया, पाबन्दियां, रीति रिवाज, भाषा एवं मीडिया की भूमिकाएं बतायी। बालिका शिक्षा बढ़ावा एवं सामाजिक सुरक्षा से इन स्थितियों में बदलाव संभव है।

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर ने सत्र को सम्बोधित कर सामाजिक सुरक्षा के संदर्भो में महिलाओं की स्थितियों, महिला सुरक्षा की अवधारणाओं एवं सिद्धान्तो, प्रक्रियाओं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बताया। उन्होने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज हत्या एवं यौन दुर्व्यवहारों के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित विधिक प्रावधानों के बारे में बताया। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर ने पीसीपीएनडीटी एक्ट ने गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पर सम्बोधित किया। उन्होने भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को चिन्ता का विषय बताते हुए अधिनियम में पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी कार्यवाहियों एवं विभागीय योजनाओं पर जानकारियां प्रदान की।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री अवनीश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक ने पीडित बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार की महत्वपूर्ण जरूरत बतायी। उन्होने महिलाओं पुरूषों को विकास एवं सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया साथ इस प्रशिक्षण को अभिनव प्रयास बताते हुए आशा व्यक्त की कि इससे महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित समाज के निर्माण में मदद मिलेगी एवं हिंसा करने वालों पर कठोर कार्यवाहियां होगी।

कार्यक्रम के अन्त: में श्री विश्वास शर्मा, परामर्शद्, आर.पी.ए. जयपुर ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सहभागी पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण में 50 अधिकारी सम्मिलित हुए।